# न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–।, हिलसा (नालन्दा)

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–।,
अनुमण्डल न्यायालय, हिलसा (नालन्दा)

आपराधिक पुनरीक्षण वाद सं–42 / 2024

संजय सिंह पे0 सूर्यदेव सिंह
साकिन–कामरिया, थाना–कुरथा, अरवल

. . . . . पुनरीक्षणकर्ता

बनाम्

1. बिहार राज्य
2. राम प्रकाश पे0 रामलखन सिंह
साकिन–केशोपुर, थाना–तेलहाड़ा, जिला–नालन्दा

. . . . . विपक्षीगण

पुनरीक्षणकर्ता की तरफ से विद्वान अधिवक्ता – श्री श्याम सुन्दर शर्मा
विपक्षी की तरफ से विद्वान अपर लोक अभियोजक–श्री राजाराम सिंह

अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम हिलसा (नालन्दा)

निर्णय पारित करने की तिथि– 22मई 2026 ई.

उपस्थित– आलोक कुमार पाण्डेय–।
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम
अनुमण्डल न्यायालय, हिलसा, नालन्दा

## निर्णय

1. पुनरीक्षणकर्ता संजय सिंह द्वारा यह आपराधिक पुनरीक्षण वाद जी.आर. नं–897 / 2019, तेलहाड़ा थाना काण्ड सं–58 / 2019 से संबंधित अभिलेख में विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी श्री आशीष नारायण द्वारा दिनांक 15.04.2024 को पारित आदेश से विक्षुब्ध व असंतुष्ट होकर दाखिल किया गया है। विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी श्री आशीष नारायण द्वारा दिनांक 15.04.2024 को आदेश पारित करते हुए आवेदक अभियुक्त संजय सिंह की तरफ से दाखिल उन्मोचित किये जाने का आवेदन खारिज किया गया था।

2. इस पुनरीक्षण वाद की सुनवाई के क्रम में विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी श्री आशीष नारायण के न्यायालय से मूल अभिलेख प्राप्त हो चुका है, जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि आवेदक संजय सिंह द्वारा उक्त न्यायालय में उन्मोचित किये जाने का आवेदन दाखिल किया गया था, जिस पर उभय पक्षों की सुनवाई के पश्चात् दिनांक 15.04.2024 को विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा उक्त आवेदन को खारिज कर दिया गया है। इसी प्रश्नगत आदेश दिनांक 15.04.2024 से विक्षुब्ध व असंतुष्ट होकर पुनरीक्षणकर्ता संजय सिंह द्वारा यह पुनरीक्षण आवेदन दाखिल किया गया है।

3. पुनरीक्षणकर्तागण संजय सिंह द्वारा अपने पुनरीक्षण आवेदन में यह निवेदन किया गया है कि प्रश्नगत आदेश दिनांक 15.04.2024 तथ्यतः एवं विधितः पोषणीय नहीं है। यह आदेश बिना न्यायिक विवेक का इस्तेमाल किये पारित किया गया है। तथाकथित घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है एवं आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध

संदेह के आधार पर आरोपपत्र समर्पित किया गया है। आवेदक अभियुक्त के पास से कोई भी आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं की गई है एवं केवल सह अभियुक्त सन्नी कुमार के दोष स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर इनके विरूद्ध आरोपपत्र समर्पित किया गया है एवं इनको उन्मोचित किये जाने का आवेदन खारिज कर दिया गया है। विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा प्रश्नगत आदेश में यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि इस अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया क्या साक्ष्य मौजूद है। आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध धारा–379, 411 भा0द0वि0 के अन्तर्गत आरोप गठन करने हेतु कोई भी सुसंगत साक्ष्य उपलब्ध नहीं है एवं पुलिस द्वारा भी आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध धारा–411 भा0द0वि0 के अन्तर्गत आरोपपत्र समर्पित नहीं किया गया है। प्रश्नगत आदेश में यह भी वर्णित नहीं है कि आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध क्या आरोप बनता है एवं केवल दोष स्वीकारोक्ति बयान आरोप गठन हेतु सुसंगत आधार नहीं है एवं सह अभियुक्त द्वारा दिया गया दोष स्वीकारोक्ति बयान भी कानूनन स्वीकार्य नहीं है। इन कथनों के आधार पर आवेदक की तरफ से निवेदन किया गया है कि प्रश्नगत आदेश दिनांक 15.04.2024 को अपास्त घोषित करने की कृपा की जाय।

4. अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि इस पुनरीक्षण वाद में विपक्षी सं–2 राम प्रकाश को न्यायालय द्वारा नोटिस निर्गत की गई थी, जिसका विधिवत् तामिला अभिलेख के साथ संलग्न है। किन्तु इसके बाद भी विपक्षी सं–2 न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए हैं। सुनवाई के क्रम में पुनरीक्षणकर्ता द्वारा पुनरीक्षण आवेदन में वर्णित कथनों को आधार बनाकर सुनवाई की गई है एवं विपक्षी बिहार सरकार की तरफ से विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रश्नगत आदेश दिनांक 15.04.2024 पूर्णतः विधिसंगत, शुद्ध एवं औचित्यपूर्ण है एवं प्रबल संदेह भी आरोप गठन का आधार है। इन कथनों के साथ विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा निवेदन किया गया है कि यह पुनरीक्षण आवेदन विधितः एवं तथ्यतः पोषणीय नहीं है। अतः इसे खारिज किया जाय।

5. पुनरीक्षणकर्ता द्वारा दाखिल पुनरीक्षण आवेदन एवं इस आवेदन पर उभय पक्षों द्वारा किये गये कथनों, अभिलेख एवं मूल अभिलेख के अवलोकन के पश्चात् यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इस पुनरीक्षण वाद में इस न्यायालय को मुख्यतः इस बिन्दु पर मन्तव्य देना है कि क्या विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी श्री आशीष नारायण तेलहाड़ा थाना काण्ड सं–58/2019 से संबंधित अभिलेख में दिनांक 15.04.2024 को पारित आदेश विधिसंगत, शुद्ध एवं औचित्यपूर्ण है या नहीं ?

## मन्तव्य

6. मूल अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि इस वाद में सूचक राम प्रकाश के आवेदन के आलोक में तेलहाड़ा थाना काण्ड सं–58/2019 (अन्तर्गत धारा–379 भा0द0वि0) अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध दर्ज किया गया था। तत्पश्चात् अनुसंधानकर्ता द्वारा अप्राथमिकी अभियुक्त सन्नी कुमार को इस वाद में न्यायिक अभिरक्षा में लेने हेतु आवेदन दिया गया था, जिस पर न्यायालय द्वारा इस अभियुक्त हेतु उपस्थापना अधिपत्र जारी किया गया था एवं अभियुक्त सन्नी कुमार को इस वाद में न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया था। तत्पश्चात् अनुसंधानकर्ता द्वारा अभियुक्त सन्नी कुमार के विरूद्ध धारा–379 भा0द0वि0 के अन्तर्गत आरोपपत्र समर्पित किया गया था एवं अन्य अभियुक्तों के विरूद्ध पूरक अनुसंधान जारी रखा गया था। अभियुक्त सन्नी कुमार के वाद को मूल वाद से पृथक कर किशोर न्याय परिषद् नालन्दा प्रेषित किया जा चुका है एवं तत्पश्चात् आवेदक अभियुक्त को इस वाद में न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया था एवं अनुसंधानकर्ता द्वारा आवेदक अभियुक्त संजय सिंह के विरूद्ध धारा–379 भा0द0वि0 के अन्तर्गत पूरक आरोपपत्र न्यायालय में समर्पित किया गया था एवं पूरक आरोपपत्र, वाद दैनिकी एवं अभिलेख के अवलोकन के पश्चात् विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी द्वारा अपराध अन्तर्गत धारा–379,411

भा0द0वि0 के अन्तर्गत संज्ञान लेते हुए इस अभियुक्त को आहूत किया गया था। तत्पश्चात् इस अभियुक्त संजय सिंह द्वारा उन्मोचित किये जाने का एक आवेदन दाखिल किया गया था, जिसे विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, द्वारा दिनांक 15.04.2024 को प्रश्नगत आदेश पारित करते हुए खारिज कर दिया गया था।

अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि यह वाद अज्ञात लोगों के विरूद्ध दर्ज है, किन्तु मूल वाद दैनिकी की कंडिका–53 में सह अभियुक्त सन्नी कुमार का दोष स्वीकारोक्ति बयान का वर्णन है, जिसमें उन्होंने आवेदक अभियुक्त संजय सिंह की संलिप्तता स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त पूरक वाद दैनिकी की कंडिका–14,15,55,56 में मुख्यतः साक्षी मनोज सिंह, शिवकुमार सिंह, चन्द्रभान यादव, रामपूजन सिंह का बयान दर्ज है। अभिलेख और वाद दैनिकी के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध इस वाद में आरोप गठन हेतु साक्ष्य उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त विधि का यह सुस्थापित नियम है कि प्रबल संदेह भी आरोप गठन का पर्याप्त आधार है। ऐसी स्थिति में विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी श्री आशीष नारायण द्वारा दिनांक 15.04.2024 को पारित प्रश्नगत आदेश विधिसंगत, शुद्ध एवं औचित्यपूर्ण है। ऐसी स्थिति में इस आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कानूनसंगत आधार उपलब्ध नहीं है। अतः पुरीक्षणकर्ता द्वारा दाखिल पुनरीक्षण आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायसंगत नहीं है।

अतएवः

<u>आदेश</u>

पुनरीक्षणकर्ता संजय सिंह द्वारा दाखिल उपरोक्त पुनरीक्षण आवेदन खारिज किया जाता है।

दिनांक–22.05.2026
स्थान– हिलसा, नालन्दा

(लेखापित)

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–।,
अनुमण्डल न्यायालय, हिलसा (नालन्दा)

मेरे द्वारा संशोधित, हस्ताक्षरित प्रश्नगत यह निर्णत आज उभय पक्षों की उपस्थिति में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक– 22.05.2026
स्थान– हिलसा, नालन्दा

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–।,
अनुमण्डल न्यायालय, हिलसा (नालन्दा)

Crim. Revision 42/2024

| | |
|---|---|
| Uploading date | 25.05.2026 |
| Uploaded by | AJAY KUMAR (D.E.O.) |